समाहरणालय मुंगेर।
(जिला योजना कार्यालय)
कार्यादेश

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत दिनांक 09.05.2013 को संचालन समिति मुंगेर से पारित निम्नलिखित योजनाओं का प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता, बूडा, बिहार पटना से प्रदत्त तकनिकी स्वीकृति पर आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर द्वारा प्रदान की गई प्रशासनिक स्वीकृति की सूचना आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 4647 दिनांक 07.10.2013 द्वारा प्राप्त हुयी है। तदालोक में सम्यक विचारोपरान्त कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण मुंगेर को कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त करते हुए आदेश दिया जाता है कि विभागीय मार्ग दर्शिका के आलोक में निविदा के माध्यम से प्राक्क्लन के विशिष्टियो के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

योजना के कार्यान्वयन के लिये स्तम्भ 6 में अंकित प्रथम किस्त के रूप में राशि की विमुक्ति की जा रही है।

क्र0 सं0	योजना का नाम	नगर निकाय का नाम	तक0 स्वी0 की राशि	प्रशा0 स्वी0 की राशि	प्रथम किस्त के रूप मे विमुक्त की जा रही राशि
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य पथ बिन्दवाड़ा तीन बटिया भाया हवाई अड्डा होते हुए हसनगंज शिव यादव लाईन होटल एन0एच0 80 तक पथों का विशेष मरम्मति कार्य एवं आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य	नगर निगम, मुंगेर	22872300.00	22872300.00	11436000.00
2	मोगल बाजार (लव कुश नगर) से भाया बसंत बिहार होते हुए मुख्य मार्ग आई0टी0सी0 गेस्ट हाउस तक पी0सी0सी0 सड़क एवं ईट नाला का निर्माण कार्य	नगर निगम, मुंगेर	12233900.00	12233900.00	6116000.00
		योग–	35106200.00	35106200.00	17552000.00

कुल विमुक्त की जा रही राशि मो0–17552000.00 (एक करोड़ पच्हत्तर लाख बावन हजार) रू0 मात्र।

शर्त्ते–

1. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. योजना कार्यान्वयन से पूर्व उस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रवैधिकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
3. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्क्लन के विशिषटियों के अनुरूप कराना सुनिश्चि करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
4. राशि का संधारण वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
5. द्वितीय किस्त की राशि तभी विमुक्त किया जायेगा जब पूर्व से विमुक्त की गई राशि का 60% व्यय करेंगे व्यय होने के पश्चात मैट पेपर पर योजना का रंगीन फोटोग्राफ के साथ एम0बी0 की सत्यापित छायाप्रति सहित अधियाचना प्रस्तुत किया जायेगा।
6. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नही होगा।

7. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर साईन बोर्ड कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।

8. योजना के कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक फोटो रंगीन मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।

9. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

10. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

11. कार्यकारी एजेंसी इस योजना मे कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सूनिश्चित कर लेंगे कि योजना का स्थल सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य किसी अन्य मद से नही कराया जा रहा है।

ह०/-
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक ..../जि0यो0, दिनांक...........................

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक जिला योजना कार्यालय से प्राप्त कर लें।

ह०/-
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक ..../जि0यो0, दिनांक...........................

प्रतिलिपि– नाजिर जिला योजना कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर को उपलब्ध करा दे।

ह०/-
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 515/जि0यो0, दिनांक 8/10/13

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

[signature]
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।